राज्य विधिज्ञ परिषद् उत्तर प्रदेश
Bar Council of Uttar Pradesh
(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)
19, Maharshi Dayanand Marg, Prayagraj | Phone : 0532-2623501, 3263501 (Off.), 2420068 (Fax.)
Camp Office : R 6/20, Vipul Khand, Gomti Nagar, Lucknow | Phone No. : 0522-2201943
Website : www.upbarcouncil.com, E-mail : uttarpradeshbarcouncil@gmail.com

Prashant Singh Atal
Advocate, High Court
Member-Secretary

WWW.LIVELAW.IN

पत्रांक सं0 / Letter No. : 4050/21
दिनांक / Date : 18:10:2021

सेवा में,

अध्यक्ष / मंत्री,
समस्त बार एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

जनपद शाहजहांपुर कोर्ट परिसर में आज श्री भूपेन्द्र सिंह, एडवोकेट की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जनपदों से भी अधिवक्ताओं की हत्या किये जाने के अन्य मामले हाल ही में सामने आये हैं, जो अत्यन्त दुखद है।

इस संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री श्रीश कुमार मेहरोत्रा के निर्देशानुसार उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह के साथ अन्य सभी माननीय सदस्यों से राय लिये जाने के बाद निश्चय किया गया कि प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाये कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु ***एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट*** लागू करें तथा मृतक भूपेन्द्र सिंह, एडवोकेट शाहजहांपुर के परिवार को रूपये 50 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाये तथा उनके परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान की जावे। साथ ही बरेली के साथ–साथ प्रदेश के अन्य मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को भी ऐसी ही सहायता दी जाये।

प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष / मंत्री से अनुरोध है कि इस घटना के विरोध में **बुद्धवार दिनांक : 20 अक्टूबर, 2021** को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए विरोध प्रदर्शित करेंगे।

साथ ही स्थानीय बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी व तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का कष्ट करें।

साथ ही साथ शासन से यह अनुरोध किया जाता है कि अपराधी प्रवृत्ति बहुत से लोग असलहा लेकर कचेहरी परिसर में जाते हैं, उनके प्रवेश पर सख्ती से जांच हो और असलहे लेकर जाने पर रोक लगायी जाये, ताकि ऐसी आपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके एवं अधिवक्ता जो कि Officer of the Court होते हैं, भयमुक्त वातावरण में निष्पक्षता एवं निर्भीकता से न्यायिक कार्य में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

(प्रशान्त सिंह अटल)
सदस्य–सचिव

<u>नोट</u>

कार्यालय जिला जज / जिलाधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र की प्रति अपने जिले / तहसील की प्रत्येक बार एसोसिएशन को प्रेषित कराने की कृपा करें।

Chamber No.: C-408, High Court, Lucknow I Resi.: House No. 1/8 Vastu Khand, Gomtinagar, Lucknow
E-mail: prashant.singhatal@gmail.com
Mobile: 9839025535, 8299855839, 7318005535